रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 333] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 27, 1979/कार्तिक 5, 1901

No. 333] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 27, 1979/KARTIKA 5, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1979

सा. का. नि. 591(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 2 में, "भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त होने पर प्रोन्नत अधिकारियों का और काडर पदों पर स्थापनापन्न रूप में नियुक्त होने पर राज्य सिविल सेवा के सदस्यों का वेतन नियत करने के सिद्धांत" शीर्षक के अधीन खण्ड (1) से (4) तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) 'वास्तविक वेतन' से वह वेतन, चाहे वह निम्नतर वेतन-मान में है या उच्चतर वेतन-मान में, अभिप्रेत है, जिसके लिए राज्य सिविल सेवा का कोई सदस्य, उस सेवा के काडर में अपनी अधिष्ठाई स्थिति के आधार पर हकदार है; और यदि राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 1973 को या उसके पश्चात् राज्य सिविल सेवा को यथा लागू वेतन-मानों को पुनरीक्षित नहीं किया है, तो वास्तविक वेतन के अन्तर्गत, 1 जनवरी, 1973 को यथा प्रवृत्त दरों पर ऐसे वेतन पर अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, मंहगाई वेतन, अन्तरिम या अतिरिक्त सहायता भी है ।

(2) 'कल्पित वेतन' से वह वेतन अभिप्रेत है, जो उच्चतर वेतन-मान में स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला या पुष्ट हो गया राज्य सिविल सेवा का सदस्य, अपनी सेवा के निम्नतर वेतन-मान में (जिसके अन्तर्गत उच्चतर वेतन-मान नहीं है) उस दशा में लेता होता, जब वह उच्चतर वेतन-मान में स्थानापन्न रूप में कार्य न करता होता या पुष्ट न किया गया होता, और यदि राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 1973 को या उसके पश्चात् राज्य सिविल सेवा को यथा लागू वेतन-मान पुनरीक्षित नहीं किया है, तो कल्पित वेतन के अन्तर्गत, 1 जनवरी, 1973 को यथा प्रवृत्त दरों पर ऐसे वेतन पर अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, मंहगाई वेतन, अन्तरिम या अतिरिक्त सहायता भी है ।

(3) 'उच्चतर वेतन-मान' से वह वेतन-मान अभिप्रेत है, जो राज्य सिविल सेवा के लिए विहित और 1 जनवरी, 1973 को या उसके पश्चात्वर्ती किसी तारीख को प्रवृत्त निम्नतर वेतन-मान से उच्चतर है । पश्चात्वर्ती तारीख वह तारीख है, जिसको राज्य सिविल सेवा को लागू वेतन-मान 1 जनवरी, 1973 के पश्चात् प्रथम बार पुनरीक्षित किए गए हैं । परन्तु पश्चात्वर्ती दशा में, 1 जनवरी, 1973 के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए और पुनरीक्षित वेतन-मान में विलीन, मंहगाई भत्ता, मंहगाई वेतन, अन्तरिम या अतिरिक्त सहायता को अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(4) 'निम्नतर वेतन-मान' से, राज्य सिविल सेवा के लिए विहित और 1 जनवरी, 1973 को या उसके पश्चात्वर्ती किसी तारीख को प्रवृत्त, मामूली या निम्नतर वेतन-मान अभिप्रेत है । पश्चात्वर्ती तारीख वह तारीख है, जिसको राज्य सिविल सेवा को लागू वेतन-मान 1 जनवरी, 1973 के पश्चात् प्रथम बार पुनरीक्षित किए गए हैं । परन्तु पश्चात्वर्ती दशा में, 1 जनवरी, 1973 के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए और पुनरीक्षित वेतन-मान में विलीन, मंहगाई भत्ता, मंहगाई वेतन, अन्तरिम या अतिरिक्त सहायता को अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

[सं. 11030/29/78-ए. आई. एस. (2)]
आर. सी. समल, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 1979

G.S.R. 591(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

(1) These rules may be called the Indian Administrative Services (Pay) Tenth Amendment Rules, 1979.

(2) Thy shall come into force on the date of their publication in the Gazette.

2. In Schedule II of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, for clauses (i) to (iv) under the heading "Principles of pay fixation of promoted officers on appointment to the Indian Administrative Service and of members of the State Civil Service appointed to officiate in Cadre Posts", the following shall be substituted, namely :—

"(i) 'actual pay' means the pay whether in the lower scale or in the higher scale, to which a member of the State Civil Service is entitled by virtue of his substantive position in the cadre of that service, and if the State Government have not revised the scales of pay applicable to the State Civil Service as on the 1st day of January, 1973 or thereafter actual pay includes dearness allowance, dearness pay, interim or additional relief admissible on such pay at the rates in force as on the first day of January, 1973.

(ii) 'assumed pay' means the pay which a member of the State Civil Service, officiating or confirmed in a higher scale would have drawn in the lower scale (which does not include higher scale) of his service had he not been officiating or confirmed in the higher scale and if the State Government have not revised scale of pay applicable to the State Civil Service as on the first day of January, 1973 or thereafter assumed pay includes dearness allowance, dearness pay, interim or additional relief admissible on such pay at the rates in force as on the first day of January, 1973.

(iii) 'higher scale' means any scale of pay higher than the 'lower scale' prescribed for the State Civil Service and in force on the 1st day of January, 1973 or any date subsequent thereto, the subsequent date being the date on which the scales of pay applicable to the State Civil Service were revised for the first time after the first day of January, 1973 provided that in the latter case the dearness allowance dearness pay, interim or additional relief sanctioned by the State Government after the first day of January, 1973 and merged in the revised pay scale shall be excluded.

(iv) 'lower scale' means the ordinary or the lowest scale of pay prescribed for the State Civil Service and in force on the first day of January, 1973 or any date subsequent thereto, the subsequent date being the date on which the scales of pay applicable to the State Civil Service were revised for the first time, after the first day of January, 1973 provided that in the latter case the dearness allowance, dearness pay, interim or additional relief sanctioned by the State Government after the first day of January, 1973 and merged in the revised pay scale shall be excluded."

No. 11030/29/78-AIS(II).]
R. C. SAMAL, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1979